

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा मे

M/s Diverse Developers LLP,
M-18, Market M-Block,
Gretar Kailash-II,
New Delhi-110048.

क्रमांक 40 /एम0बी0

दिनांक 6.9.21

विषय:- Regarding Aravalli/Forest NOC of land area situated in the Village Badha & Hayatpur, Sector-93, District Gurugram- M/s Diverse Developers LLP.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले मे उक्त के सम्बन्ध मे तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार, हरसरु व वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, मानेसर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 346/ओ0के0/रीडर दिनांक 03.08.2021 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमे लिखा है कि मौजा बढा तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम M/s Diverse Developers LLP के द्वारा की गई प्रार्थना पर रिपोर्ट मूल रूप से पटवारी हल्का से मांगी गई, जो बिन्दुवार निम्न प्रकार से है।

मु0 4 किला न0 22/1(4-8), 11/1/2(2-0), 12/1/2/1(2-15), 18/2(1-0), 19(7-19), 20/1(0-19), 18/1/2(2-2), 23/1/2(0-9), 23/2/1/1(0-13), 11/2(3-17), 12/2(4-0), 13/2/1(0-5), 20/2(0-8), 20/3(3-19), 9/1/2/2(2-16) मु0 न0 7 किला न0 1/1/1(1-1), मु0 न0 6 किला न0 5/2/2/3/1(0-8) मु0 न0 4 किला न0 21/2/1/1(1-17), 21/1/2(2-9), 21/1/1(2-13) मु0 न0 5 किला न0 25/2(1-19), 24/1/1(2-10), 25/1(1-0) किला 23 व मु0 न0 5 किला न0 25/3(4-11) व मु0 न0 4 किला न0 21/1/3(0-9), मु0 न0 5 किला न0 25/4(0-10) किला 3 व मु0 न0 4 किला न0 20/4(2-8) मु0 न0 5 किला न0 16(5-18) किला 2 का मिलान किया गया, प्रस्तावित भूमि की रिपोर्ट विस्तारपूर्वक निम्न प्रकार से है:-

1. प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा/किला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात मिसल हकियत/चकबन्दी से कभी भी उपरोक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड, राडा, बीहड, बंजर बीहड या रुन्द नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा की किस्म चाही है।
4. अराजी भूमि चकबन्दी से ताहाल कभी भी ग्राम पंचायत/शामलात देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. आराजी भूमि का किसी न्यायालय में कोई भी केस जमाबन्दी खाना कफियत में दर्ज नहीं है।

6. अराजी भूमि SEZ में नहीं आती है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा/किला नम्बरान पर धारा 4, 6 व अवार्ड/अन्य किसी प्रकार का भार नहीं है।

नायब तहसीलदार, हरसरु ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 309/रीडर दिनांक 04.08.2021 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **M/s Diverse Developers LLP** वाका मौजा हयातपुर उपतहसील हरसरु जिला गुरुग्राम की रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. अराजी भूमि वाका मौजा हयातपुर उप तहसील हरसरु जिला गुरुग्राम के किला न० 52//2/2(1-17)-3/2(1-17)-4/1(5-1)-8/1(1-2)-8/2/1(4-11)-8/2/2(1-11)-9/1(2-9)-9/2(4-0)-9/3(1-11)-10/1(5-11)-10/2/1(1-4), 53//6/1(5-1) कित्ता 12 रकबा 35 कनाल 15 में मैसर्ज **Diverse Developers** रजि० आफिस **M-18** ग्रेटर कैलाश-2 वासी नई दिल्ली मालिक है। तथा उपरोक्त किला नम्बरान अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. अराजी भूमि दिनांक 07.05.1992 के Notification अनुसार मिसल अरावली क्षेत्र में नहीं है तथा नोटिफिकेशन से पूर्व या पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी गै० मु० पहाड, गै० मु० राडा, गै० मु० बीहड, बंजर बीहड या रुन्द्र नहीं रही है।
3. अराजी भूमि दिनांक 07.05.1992 के Notification अनुसार से पूर्व व पश्चात से राजस्व रिकार्ड अनुसार किस्म चाही रही है।
4. अराजी भूमि मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अराजी भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के किसी भी न्यायालय में कोई केस विचाराधीन नहीं है।
6. अराजी भूमि SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आता है।
7. उपरोक्त अराजी भूमि पर राजस्व रिकार्ड अनुसार सैक्शन 4 व 6 का कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 658-सी० दिनांक 10. 08.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 22.07.2021 (**M/s Diverse Developers LLP**) को गांव बढा की 2.1430 एकड व गांव बढा की 4.902 एकड तथा गांव हयातपुर की 4.467 एकड एरिया की फोरेस्ट क्लेरिफिकेशन को ऑनलाईन जारी की जा चुकी है जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant **M/s Diverse Developers LLP**, Land Measuring 2.1430 (Acre) having Rectangle No/Killa No. 4//20/1(0-17-1), 4//19(7-13-7), 4//18/2(1-0), 4//18/1/2(2-2), 4//22/1(4-8), 4//23/1/2(0-9), 4//23/2/1(0-13) Land located at village Badha, Land Measuring 4.902 (Acre) having Rectangle No/Killa No. 4//9/1/2(2-16-5), 11/1(1-19-6), 11/2(3-17-0), 12/1/2/1(2-15-0), 12/2(4-0-0), 13/2/1(0-5-0), 19min(0-5-2), 20/1min(0-1-8), 20/2min(0-8-0), 20/3(3-19-0), 21/1/1(2-13-0), 21/1/2(2-9-0), 5//24/1/1(2-10-0), 25/1(1-0-0), 25/2(1-19-0), 4//20/4(2-8), 5//16(5-18) Land located at village Badha and Land Measuring 4.467 (Acre) having Rectangle No/Killa No. 52//2/2(1-17-0), 3/2(1-17-0), 4(5-0-7), 8/1(1-2-0), 8/2/1(4-11-0), 8/2/2(1-11-0), 9/1(2-9-0), 9/2(4-0-0), 9/3(1-11-0), 10/1(5-11-0), 10/2/1(1-4-0), 53//6/1(5-1-0) Land located

at village Hayatpur District Gurugram made a proposal to use this land for Forest Noc For Proposed Residential & Commercial Project of the LLP. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurgaon.
- C) If approach is required from Protected forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s Diverse Developers LLP whose land is located at Village/City Badha & Hayatpur District Gurgaon must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurgaon the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject to The conditions Mentioned Above.

अतः तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार, हरसरू व वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित किला नं. की Aravali/Non Forest Land रिपोर्ट जारी की जाती है।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।
6/9/21